बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संoसं0–03/उoनि०/(प्रवासी भातरीय दिवस)–18/2013

शुद्धि पत्र

स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 की कंडिका–04 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4051, दिनांक–19.11.2018 की कंडिका–1 को पूर्ण रूप से संशोधित की जाती है, तद्नुसार इसे इस प्रकार पढ़ा जाए :–

"उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–277 में उपलब्ध करायेंगे। जिसका व्यय आवश्यकतानुसार उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी फार्म–बी0टी0सी0–46 पर की जायेगी।"

2. उक्त वाक्य को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3. स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्त्तें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक........................

संoसं0–03/उoनि०/(प्रवासी भातरीय दिवस)–18/2013

प्रतिलिपिः– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4051, दिनांक–19.11.2018 की छायाप्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक........................

संoसं0–03/उoनि०/(प्रवासी भातरीय दिवस)–18/2013

प्रतिलिपिः– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4051, दिनांक–19.11.2018 की छायाप्रति के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक........................

संoसं0–03/उoनि०/(प्रवासी भातरीय दिवस)–18/2013

प्रतिलिपिः– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4051, दिनांक–19.11.2018 की छायाप्रति के साथ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 सं0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.......124......./ पटना, दिनांक....7.1.'19....

संoसं0–03/उoनि०/(प्रवासी भातरीय दिवस)–18/2013

प्रतिलिपिः– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4051, दिनांक–19.11.2018 की छायाप्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1, योजना/उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive sueet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------233

1 A13

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 3366 /
संoसंo–03/उoनिo/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013

पटना, दिनांक 01.10.18

प्रेषक,

प्रदीप कुमार
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हo),
बिहार, पटना ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रवासी भारतीय दिवस (21–23 जनवरी, 2019 तक) मे राज्य सरकार की सहभागिता हेतु ₹60.00 लाख (साठ लाख रू0) मात्र अनुमानित व्यय एवं निकासी की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रवासी भारतीय दिवस (21–23 जनवरी, 2019 तक) मे राज्य सरकार की सहभागिता हेतु ₹60.00 लाख (साठ लाख रू0) मात्र अनुमानित व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना अन्तर्गत निकासी की गई राशि से संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुरूप वर्णित मदों पर राशि का व्यय की जायेगी। राशि व्यय करने में वित्त विभाग के पत्रांक–1380, दिनांक–19.02.2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस (21–23 जनवरी, 2019 तक) का आयोजन प्रस्तावित हैं।

4. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104–हस्तशिल्प उद्योग, माँग संख्या–23, उप शीर्ष 0101–हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड 23-2851001040101, विषय शीर्ष 0101.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में यथेष्ठ बजट उपबंध है। राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म बी0टी0सी0–25 पर की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी एकमुश्त कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी, प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के उपलब्ध करायेगें।

6. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे।

क्रमशः पृष्ट–02 पर.....

1112

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4269 दिनांक 20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जायेगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013 के पृष्ट–61/टि० पर दिनांक–10.09.2018 को प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:–7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3366/ पटना, दिनांक 01.10.18

सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3366/ पटना, दिनांक 01.10.18

सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013

प्रतिलिपि:–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) अनुमानित व्यय विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3366/ पटना, दिनांक 01.10.18

सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013

प्रतिलिपि:– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, वियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3366/ पटना, दिनांक 01.10.18

सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013

प्रतिलिपि:– प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3 (उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

111

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रवासी भारतीय दिवस (21–23 जनवरी, 2019) में राज्य सरकार की सहभागिता हेतु ₹60.00 (साठ लाख रुपये) मात्र का अनुमानित व्यय विवरणी :–

क्र०	मद	अनुमानित व्यय (राशि लाख में)
1	2	3
01.	प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्टॉल आरक्षण (विशेष राज्य सत्र सम्मेलन सहित) हेतु शुल्क का भुगतान।	₹30.00
02.	डेलीगेट निबंधन शुल्क	₹10.00
03.	बिहार स्टॉल का निर्माण/साज–सज्जा इत्यादि कार्य	₹05.00
04.	विज्ञापन/प्रचार–प्रसार/ब्रोसर/विभिन्न प्रिन्टिंग कार्य/प्रेस कॉन्फ्रेंस/फिल्म प्रस्तुतिकरण।	₹05.00
05.	विशिष्ट अतिथि/एन०आर०आई० सत्कार/उपहार	₹05.00
06.	यात्रा/आवासन/परिवहन/टैक्सी एवं अन्य आकस्मिक व्यय	₹05.00
	कुल योग :–	₹60.00

(साठ लाख रुपये) मात्र।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive saicel Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------173

117

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013

शुद्धि पत्र

स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 की कंडिका–04 का अंतिम वाक्य निम्नलिखित है:–
"राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म–BTC-25 पर की जायेगी।"
उक्त वाक्य को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय–
"राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना द्वारा फार्म–BTC-26 पर की जायेगी। एकमुश्त अग्रिम राशि की निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।"
2. स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्त्तें यथावत रहेंगी।
3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4051/
सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013
पटना, दिनांक 19.11.18

प्रतिलिपि.– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ महालेखाकार (ले0 एवं हक0), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4051/
सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013
पटना, दिनांक 19.11.18

प्रतिलिपि.– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4051/
सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013
पटना, दिनांक 19.11.18

प्रतिलिपि.– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4051/
सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013
पटना, दिनांक 19.11.18

प्रतिलिपि.– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4051/
सं0सं0–03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)–18/2013
पटना, दिनांक 19.11.18

प्रतिलिपि– स्वीकृत्यादेश संख्या–3366, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D drive suject Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16———-180